

①

Name of college,

R.B.G.R. College,

Maharajganj Siwan

classmate

Date

Page

Course - T.D.C. part II (Hons + sub)

subject → political science

paper 3rd Honours

paper 2nd Subsidiary

Topic - Federal system in India

"भारत में संघीय व्यवस्था"

presented by

Dr. Md. Kalimullah

Designation - Asst. professor

Dept. of political science

Introduction →

आधुनिक युग में सार्वभौमिकता का अर्थ लोकप्रिय शासन-प्रणाली है। 1929 में संघवाद की विचारणा एवं व्यवस्था का प्रचलन संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण से हुआ है। भारतीय संविधान की एक संघीय-शासन प्रणाली की स्थापना करता है। केन्द्र यह ध्यान रहे कि संघवाद में अहम की "संघवाद" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद यह अहम बात है कि "भारत राष्ट्रों का संघ होगा" (India shall be a union of states)। Federation के अर्थ पर "Union" शब्द का प्रयोग भारतीय अर्थों की पूर्ण अर्थ के लिए किया गया है। भारतीय संविधान







3

जो एका शक्ति के अनुसार "मातृ संघ" नहीं  
आपने 'अनुसूची' है। जो लक्ष्य आदिपत्र  
के लक्षण है। जो पारलमन्ट के शक्तों में = मातृ  
के संघीयता की है। या संघीयता है। जो अनुसूची  
मातृ संघीयता है। डॉ. B.R. Ambedkar  
के मत में मातृ संघीयता संघीयता के  
अन्तर्गत है। या नहीं। बलवान् संघीयता है।

इसकी ओर कुछ अन्य बातें 1930  
के पहले मत व्यक्त किया है। जो मातृ संघीयता  
शास्त्र है। जो संघीयता के शक्तों में = मातृ संघीयता  
में संघीयता लक्षण इतने मुख्य रूप में विद्यमान है।  
जो यह एक वास्तविक संघीयता के संघीयता है।  
जो संघीयता के अनुसार = मातृ संघीयता  
वास्तविक संघीयता है, तथापि अन्य बातें भी लक्षण  
इसकी ओर निम्नलिखित विचारता है, मातृ संघीयता  
संघीयता लक्षण विचारता है।

इस प्रकार मातृ संघीयता की  
इकाई पर विचारों में पर्याप्त मतभेद है, लेकिन  
वास्तविकता यह है कि मातृ संघीयता की मूल  
इकाई संघीयता है और इसमें केन्द्र की शास्त्री-  
शास्त्री वना भागपात है, गले ही इसकी अनेक  
संघीयता की लक्षण 'आदर्श संघीय' (Model federa-  
tion) नहीं कहा जाये।

मातृ संघीयता के संघीयता के  
(Federal elements of the Indian  
constitution) —

① लिखित संघीयता (written constitution)  
अन्य बातें की लक्षण मातृ संघीयता  
संघीयता लिखित, लिखित तथा लक्षण है। इसमें  
संघीयता की मातृ संघीयता की दीक्षा लक्षण







पूरी में संलग्न हो गया 155. इसी में ~~कम~~ <sup>Page</sup> ~~अ~~  
एवं समकाली इसी में 155 तथा केन्द्र के ~~अ~~ <sup>Page</sup> ~~अ~~  
को व्यक्त करने के लिए ~~अ~~ <sup>Page</sup> ~~अ~~  
हस्ताक्षर के केन्द्र 215 वगैरे यह व्यक्त की  
मान्यता दी जाती है इस तरह शासन को  
अंग्रेजों के समक्ष में मान्यता ~~अ~~ <sup>Page</sup> ~~अ~~  
अंग्रेजों तथा ~~अ~~ <sup>Page</sup> ~~अ~~  
में नहीं सम्मिलित जाता है

(17) स्वायत्तता की अवस्था (Independence  
of Judiciary) - अवस्था एवं सिद्धांत स्वायत्त  
अंग्रेजों की आवश्यक विशेषताओं में से एक है  
अंग्रेजों की अवस्था एवं सिद्धांत स्वायत्त ही अंग्रेजों  
के व्यवस्थापन तथा संसद के समक्ष कार्य कर  
सकता है तथा यह स्वायत्तता केन्द्रों तथा  
155 सरकारों के बीच उच्च अंग्रेजीय गतिविधियों  
की विशेषता या निष्कर्ष बनती है। गतिविधियों  
स्वायत्त के केन्द्र तथा 155 अंग्रेजों  
215 पारित विधियों की व्यवस्था की जांच करता  
है, उन्हें अंग्रेजों की व्यवस्था करता है।

उक्त तथ्यों के आधार पर  
अंग्रेज विद्वानों का मानना है कि भारतीय संविधान  
संघीय व्यवस्था की शक्तों को पूरा करता है केन्द्र  
इसकी शक्ति बहुत ही विचारक भारत को संघीय  
शासन की शक्ति में रखने को तैयार नहीं है इन  
विद्वानों का यह मत है कि भारतीय संविधान की  
अंग्रेजों के विशेषताएं हैं जो अंग्रेजों तथा  
Switzerland आदि संघीय देशों के संविधान  
में नहीं पाई जाती वरन् एकात्मक संविधान में  
पाई जाती है। भारतीय संविधान के ये एकात्मक







⑦

के आधिकार के अन्तर्गत राज्य सरकार का  
अन्तर्गत - अन्तर्गत है परन्तु संघीय सूची में  
वर्गीकृत विषयों की संख्या 15 है - सूची की  
उत्पत्ति से सम्बन्धित है 34 के अन्तर्गत राज्य  
सूची के विषयों पर यह अवलोकन विशेष परिस्थितियों  
में केन्द्र को वास्तविक अन्तर्गत का अधिकार दिया  
जाता है राज्य-समाप्त अथवा विधान-समाप्त के  
आदेश पर, संवैधानिक उद्घोषणाओं की शक्तों  
से अन्तर्गत सूची आदि का वास्तविक अन्तर्गत  
किन्तु संघ 15 सूची के वर्गीकृत विषयों पर  
को वास्तविक अन्तर्गत है समस्त सूची में  
वर्गीकृत विषयों पर वास्तविक अन्तर्गत का अधिकार  
केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों को दिया  
जाता है किन्तु विवाद की दृष्टि से  
संघ इस अन्तर्गत पर वास्तविक अन्तर्गत है

(iii) राज्यों की स्वायत्तता नहीं (no autonomy  
to the states) -

जर्मनी, Switzerland तथा  
Australia की संघीय सरकारों में संघीय  
इकाइयों की सीमा के अन्तर्गत केन्द्र के अधिकारों में  
परिवर्तन नहीं किया जा सकता है किन्तु हमारे संघीय  
के अन्तर्गत के अन्तर्गत संघ की  
अधिकार है कि वह - केन्द्र राज्य के उद्देश्यों  
प्रदेशी प्रयत्न के अन्तर्गत या या अधिकारों को  
नियामक नहीं नया राज्य बना है - केन्द्र राज्य  
में अन्तर्गत अथवा अन्तर्गत है - राज्य की सीमा  
अथवा उद्देश्यों अन्तर्गत के अन्तर्गत राज्य के  
अन्तर्गत का दायित्व के अन्तर्गत अन्तर्गत  
पर निर्भर है



⑧

(iv) राज्यपालों की नियुक्ति - (Appointment of Governors) - भारत के (विभिन्न) राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है जो राष्ट्रपति के उपाध्यक्ष एकात्मक दल है। राज्यपालों के अधिकारों में बहुत राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता है जो कि संसदीय व्यवस्था के अधिकारों (Rights) के समान कार्य करते हैं।

⑤ राज्य के विधेयों पर संसदीय नियंत्रण (Central control over the state bills)

राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किये विधेयों पर राष्ट्रपति की ए-वरीक्षण लेनी पड़ती है कुछ विधेयों को मंजूरियां राष्ट्रपति के द्वारा विचारण तथा ए-वरीक्षण के लिए भेजा जाता है कुछ ऐसे भी विधेय हैं जिनको राज्य विधानमण्डल संसद के पुःस्थापित नहीं किया जा सकता उक्त राज्यों की ए-वरीक्षण प्राप्त हो ही जाते। इनके अलावा, इन संसदों में राज्यपालों को भी अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किये विधेयों को राष्ट्रपति के विचारण सुरक्षित रख सकता है यह व्यवस्था विदेशी तरीके संसदीय ढांचे का आकार पड़ता है।

(vi) एकीकृत न्याय-व्यवस्था (Integrated judicial system) - सभी संघीय-व्यवस्था में संघ एवं राज्यों के अधिकारों का समुचित के लिए दोहरी न्याय-व्यवस्था का व्यवस्था है। लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली में अंगरेजी की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का



classmate  
Date  
Page

प्रतिपादित करने के अन्तर्गत वह स्वयं स्वयं-प्राप्त और  
एकीकृत कर दिए जा रहा है। निर्देशों के  
324 स्वयं-प्राप्त के अन्तर्गत संघर्ष-स्वयं-प्राप्त  
के अन्तर्गत है, क्योंकि उन्हें उन्नी के अन्तर्गत माना नहीं  
करा जाता है। भारतीय राष्ट्रपति की 324-  
स्वयं-प्राप्तों के स्वयं-प्राप्ति की विधिवत् अन्तर्गत  
है तथा संसद ही उन्हें विधायक महासभा में  
आ प्रस्ताव पास करती है।

(VII) राज्यों की वित्तीय निर्भरता (Financial  
dependence of the states) — यह कि  
संघसभ्य के राज्यों की वैयक्तिक सहायता पर  
बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है संघ सरकार  
को वह प्रचार के अन्तर्गत महसूस कराती है और  
वसूल करती है। संघीयता के अन्तर्गत राज्यों के  
साथ राज्यों का उन्नी आ प्रस्तावों को पूरा  
करने के लिए पर्याप्त नहीं है अतः राज्यों को  
संघ के अन्तर्गत सरकार पर अपनी वित्तीय आ प्रस्ताव-  
अन्तर्गत की पूर्ति के लिए निर्भर रहना पड़ता है।

(VIII) एक ही नागरिकता तथा संघ एवं राज्यों  
के लिए एक ही संघीयता (Single citizenship and  
one constitution for whole of the country) —

आमतौर पर संघीय व्यवस्था  
के अन्तर्गत दो ही नागरिकता या श्रेणियाँ होती हैं  
एक संघ के लिए तथा दूसरा राज्य के लिए किन्तु  
भारत में पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता  
की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार संघ एवं  
राज्यों के लिए एक ही संघीय संघीयता की  
व्यवस्था नहीं है क्योंकि संघीय देश के लिए  
एक ही संघीयता है।



1. (IX) संघीयता के दौरान (unitary during emergency period) → गांधीजी को बंदी बनाया गया और उनके बंधन में आने के बाद गांधीजी को 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष (अप्रैल 1942) के रूप में कोर्टोपेक्षा के अधीन रखा गया (356) और विदेशी माल के बहिष्कार (360) को लागू करने के लिए उद्योगों को बंद कर दिया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस के परिणामस्वरूप 1944 को राय ब्रह्म के राजीनामे के तहत पर 1945 को 15 मई पर लगे प्रचार के प्रशासनिक नियमों को आदेश दिया गया है। दूसरे ओर 1945 को 15 मई को स्वतंत्रता लाने के लिए देश को अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में परिवर्तित होना है, और तब तक उद्योगों के कल-विल-विल 1945 पर केन्द्र सरकार को विदेशी निवेश को लाना है।

(x) महत्त्वपूर्ण विषयों पर एकीकृत व्यवस्था  
विश्व के अन्य क्षेत्रों में अत्यंत  
आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक संरचना तथा अन्य  
मानकों में विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन आर्थिक  
व्यवस्था पद्धति में इन मानकों में एकता प्राप्त की  
जा सकती है। विश्व व्यापी है। अतः देश के लिए  
आर्थिक आर्थिक संरचना के व्यवस्था के साथ-  
साथ एक ही सामाजिक-व्यवस्था, मानकों का अर्थ  
लेकर समाज को एक ही दिशा में आगे बढ़ने की  
व्यवस्था, समग्र देश में विभिन्न तथा सुगम  
के समझने में एकता प्राप्त की है। अतः विभिन्न  
एवं महादेशीय-परिचित तथा सुगम भाषाओं की व्यवस्था



इसके आजीविक और कुछ नगरे एवं  
 प्रोत्साहित हैं। इनके अन्तर्गत आते हैं संघीयता  
 एवं समता की प्रणाली देव के को। निम्नलिखित हैं  
 संघीयता — सामान्य आपात (नीच. आपात)  
 राष्ट्रिय विचार परिषद, राष्ट्रिय परिषद,  
 संघीय मन्त्रालय शासन, राष्ट्रिय-समा  
 ने राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व रखें, संघीयता  
 एवं संघीयता में राष्ट्रों की अपेक्षा संघीयता का  
 आर्थिक शासन, विदेशी-आपात, विदेश-  
 विद्यालय अनुदान आपात, विदेशी आपात,  
 गांधी आपात, अनुसूचित जाति एवं अनु-  
 जातीयों तथा पीछड़े वर्गों के सम्बन्धों में  
 राष्ट्र आपात की निम्नलिखित आदि

अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है  
 कि भारतीय संघवाद को विस्तृत रूप से  
 संघीयता कहा जा सकता है और उ एकात्मक।  
 इसे ही 'एकात्मक संघवाद' (Unitary federa-  
 tism) की संज्ञा देना ही उचित होगा। भारतीय  
 संघ एक 'संघीय संघ' (Sui generis federation)  
 है, जिसकी पूर्ण और विष-हीन गुणता संघीय में  
 लाया जाता है। यह जातिवादी अर्थ में नहीं है। संघीयता  
 संघीयता से नहीं है। संघीयता वास्तविकता  
 यह है कि भारतीय संघीयता एक संघीय संघ है  
 परन्तु अपनी विशेषताओं के अन्तर्गत राष्ट्रों के  
 अर्थ संघीय संघीयता से यह एकल प्रणाली  
 का संघ उक्त जाति है। ए. एन. मुखर्जी के शब्दों में  
 यह है कि भारतीय संघीयता एक लचीली संघीय  
 (Flexible federation) का निर्माण किया है।



(12)

D.D. Basu के शब्दों में - गणराज्य है, कृपया: एकात्मक,  
ये दोनों तत्वों के मेल से यह एक गणराज्य  
या संघ या मिश्रित रूप बन गया है" (It  
may be said that the constitution  
of India is neither purely federal  
nor unitary but it is a combination  
of both, it is a federation or composite  
of novel type).